

राजस्थान — सरकार

निदेशालय चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान
जयपुर ।

क्रमांक/ई-26/09/238

दिनांक :- 01.04.09

समस्त प्राधानाचार्य एवं नियंत्रक सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग,।
समस्त सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,।

विषय :- लोक सभा चुनाव लडने हेतु / अन्य कारण से स्वेच्छिक
सेवानिवृति आवेदन करने वाले चिकित्सकों कार्यमुक्ति के
सम्बन्ध में,

उपरोक्त विषय में लेख है कि लोक सभा चुनाव लडने हेतु / अन्य
कारण से स्वेच्छिक सेवानिवृति हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सकों को शासकीय स्वीकृति
के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जायें एव साथ ही चिकित्सक को पद त्याग नहीं करने के
लिए भी अपने स्तर पर पाबन्द करें।

भविष्य में स्वेच्छिक सेवानिवृति हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सकों के
विरुद्ध विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है अंकित करते हुए पेंशन गणना योग्य सेवा
15 वर्ष पूर्ण होने का प्रामाण पत्र भी प्रार्थना पत्र में अंकित कर प्रेषित करें।



अति. निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/ई-26/09/238

दिनांक :- 01.04.09

प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है,कि इसे विभाग कि वेबसाइट पर आज ही डाले ।



अति. निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।